राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2551/2023

मनीराम मीना **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राज.)।
2. निदेशक, निदेशालय आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राज.)।
3. सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, करौली।
4. ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिण्डौन सिटी, जिला करौली (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.09.2023
आदेश की दिनांक : 22.10.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री कमल कुमार माथुर, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 04.10.2022 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को बहाल करते हुये निरंतर कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति संगणक के पद पर दिनांक 07.06.2022 को हुई थी और उसे विभाग द्वारा पदस्थापित किया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी के विरूद्ध एफआईआर संख्या 490/2022 धारा 420, 406 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत सहधारा 9 एवं 10 अधिनियम 2022 के अंतर्गत दर्ज की गई और चालान भी अपीलार्थी एवं श्री असून खान के विरूद्ध प्रस्तुत किया जा चुका है। आदेश दिनांक 14.11.2022 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी एवं श्री असून की जमानत को आगे बढा दिया गया है। अपीलार्थी को एफआईआर दर्ज होने के कारण दिनांक 09.09.2022

को कस्टडी में लिया गया, जिसके चलते उसे आदेश दिनांक 04.10.2022 के द्वारा निलंबित किया गया। उनका कथन है कि उक्त प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है और इस प्रकार अपीलार्थी को निलंबित रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। जबकि अपीलार्थी लम्बे समय से निलंबित है, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुये प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 04.10.2022 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को बहाल करते हुये निरंतर कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत निलंबित किया गया है और अपीलार्थी की बहाली के संबंध में प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश दिनांक 05.04.2023 के द्वारा इस प्रकरण में गठित राज्य स्तरीय पुनरावलोकन समिति के निर्णय उपरांत ही विचार किया जा सकेगा। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति संगणक के पद पर दिनांक 07.06.2022 को हुई थी और उसे विभाग द्वारा पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी के विरूद्ध एफआईआर संख्या 490/2022 धारा 420, 406 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत सहधारा 9 एवं 10 अधिनियम 2022 के अंतर्गत दर्ज की गई और चालान भी अपीलार्थी एवं श्री असून खान के विरूद्ध प्रस्तुत किया जा चुका है। आदेश दिनांक 14.11.2022 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी एवं श्री असून की जमानत को आगे बढा दिया गया है। अपीलार्थी को एफआईआर दर्ज होने के कारण दिनांक 09.09.2022 को कस्टडी में लिया गया, जिसके चलते उसे आदेश दिनांक 04.10.2022 के द्वारा निलंबित किया गया। जहां तक अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी निलंबन आदेश दिनांक 04.10.2022 के द्वारा निलंबित रखे जाने एवं उसे बहाल नहीं किये जाने का प्रश्न है, उक्त आलोच्य निलंबन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के संबंध में जारी किया गया निलंबन आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत नियमानुसार जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन परिलक्षित नहीं होता। अपीलार्थी के विरूद्ध अपराधिक मामला दर्ज होने के कारण उसे गिरफ्तार किया गया है, जिसके क्रम में उसे निलंबित किया गया है और अपीलार्थी के विरूद्ध माननीय न्यायालय में चालान

प्रस्तुत किया जा चुका है, जो वर्तमान में मामला विचाराधीन है। प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश दिनांक 05.04.2023 के द्वारा वर्तमान प्रकरण में गठित राज्य स्तरीय पुनरावलोकन समिति का निर्णय आना शेष है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलार्थी का प्रकरण उक्त गठित समिति के समक्ष विचाराधीन है। परंतु हम प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी किया गया निलंबन आदेश में हमें किसी प्रकार की नियम/विधि विरूद्धता प्रकट नहीं होने के कारण अपीलार्थी की अपील में कोई बल प्रकट नहीं होता है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष